सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III
No. 10/2/2013-Coord.
भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

नई दिल्ली, दिनांक: सितम्बर 2014
New Delhi, Dated: September, 2014
30 SEP 2014

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का उत्पादकता असंबकद्व बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने संबधी आदेशों का स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू करना ।

Subject: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2013-14 - Extension of orders to Autonomous Bodies.

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
का0जा0 सं0:7/22/2008-ई III(ए) दिनॉक : २३ सितम्बर 2014 O.M. No: 7/22/2008 E-III(A) Dated : 23.09.2014	व्यय विभाग , वित्त मत्रालय

(संजीत कुमार भगत)
(Sanjeet Kumar Bhagat)
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)
Section Officer (Coord.)

सेवा में ,

To

1. Heads of all Organizations under the Ministry.
2. Finance Desk, MoWR,RD &GR, S.S. Bhawan, New Delhi.
3. DDO, MOWR , RD &GR, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Guard file

F.No.7/22/2008 E-III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E III (A) Branch

New Delhi, the 23rd September, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2013-14 – Extension of orders to Autonomous Bodies.

*****

Orders have been issued vide this Ministry's Office Memorandum No. 7/24/2007 E-III (A) dated 16th September, 2014 authorizing 30 days emoluments as Non-PLB (Ad-hoc bonus) for the accounting year 2013-14 to the eligible Central Government employees not covered by the Productivity Linked Bonus Schemes, subject to terms and conditions laid down therein.

2. The undersigned is directed to say that it has now been decided that the Non-PLB (Ad-hoc) bonus so admissible subject to the terms and conditions laid down in the aforesaid orders, may be extended to the employees of autonomous bodies, partly or fully funded by the Central Government which (i) follow the pattern of pay structure and emoluments identical to that of the Central Government and (ii) do not have any bonus or ex-gratia or incentive scheme in operation.

3. In case of doubt as to the operation of these orders the clarificatory orders, circulated vide this Ministry's O.M. No.14(10)E-Coord/88 dated 4.10.88, as amended from time to time, may be kept in view, mutatis mutandis.

4. Any request for funding by the Government to meet the liability on account of Non-PLB (Ad-hoc bonus) in respect of various autonomous organizations would not be considered by the administrative Ministries concerned, as the expenditure on Non-PLB (Ad-hoc bonus) should be met from within the existing budgetary provisions of the respective organizations. While the Autonomous Bodies not funded by the Central Government may also adopt these orders as per their own administrative and financial judgment in respect of their employees, no liability for funding will, in any case, lie on the Central Government on this account.

(Amar Nath Singh)
Deputy Secretary to the Govt. of India

All Ministries and Departments of Government of India (as per standard distribution list)

(10)

संख्या-7/22/2008-ई.III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था- III(क) अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने संबंधी आदेशों को स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू करना।

इस मंत्रालय के 16 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/24/2007-ई.III(ए) के तहत केन्द्र सरकार के ऐसे पात्र कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, उक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों पर लेखा वर्ष 2013-2014 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका निधियन अंशत: अथवा पूर्णत: केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन संरचना और परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां कोई बोनस या अनुग्रह राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है।

3. इन आदेशों को लागू करने के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में, इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04/10/1988 के का.ज्ञा.सं.14(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए।

4. विभिन्न स्वायत्त संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के प्रति देयता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निधियन के किसी भी अनुरोध पर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाले व्यय की पूर्ति, संबंधित संगठनों के मौजूदा बजटीय प्रावधानों में से की जानी चाहिए। हालांकि, ऐसे स्वायत्त निकाय भी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है, अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार अपने कर्मचारियों के संबंध में इन आदेशों को लागू कर सकते हैं तथा इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा।

अमरनाथ सिंह
(अमर नाथ सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।